

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**  
**पेंशनभोगियों को पहचान-पत्र जारी करने का आवेदन पत्र**

1. नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. सेवा-निवृत्ति के समय पद एवं श्रेणी (ए, बी, सी) : .....
4. पी.पी.ओ. नं. और तिथि : .....
5. जन्म-तिथि : .....
6. सेवा निवृत्ति तिथि : .....
7. घर का पता : .....
- .....पिन कोड .....
8. दूरभाष/मोबाइल सं. : .....
9. रुधिर-वर्ग (ब्लड ग्रुप) : .....
10. पिछले पेंशनभोगी पहचान-पत्र की संख्या, यदि कोई सुरक्षा विभाग से जारी किया गया हो तो, (पिछले पेंशनभोगी पहचान पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न करें) । : .....
11. यदि पिछला पेंशनभोगी पहचान पत्र खो गया है तो एफ.आई.आर. नंबर व दिनांक लिखें (प्रतिलिपि संलग्न करें) । : .....

नाम .....

पद .....

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..... दि.वि.प्रा. से दिनांक.....को सेवा-निवृत्त हो गए/रहे हैं। उन्होंने नया/डुप्लीकेट परिचय-पत्र जारी करने हेतु शुल्क/जुमाने के रूप में 10/55 रु. जमा कर दिए है उनके द्वारा दिया गया विवरण सही है अतः उन्हें पहचान-पत्र जारी किया जाए।

नाम.....

पद.....

हस्ताक्षर.....

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन)  
कार्यालय की मोहर

**मुख्य सुरक्षा अधिकारी**

**नोट :-**

1. आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज़ के दो नवीनतम रंगीन फोटो सफ़ेद पर्दे के साथ, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन)को प्रस्तुत किया जाए, एक फोटो एवं फॉर्म को साक्ष्यांकित करेंगे।
2. आवेदन पत्र को अंग्रेजी व हिंदी (दोनों तरफ से) भरे एवं अंग्रेजी में बड़े अक्षरों का प्रयोग करें।
3. बिंदु न. 11 के नीचे रिक्त जगह पर नमूना हस्ताक्षर करें (बिना तारीख के)।
4. 10/55 रुपए के शुल्क की मूल कॉपी संलग्न करनी है।
5. पेंशन लैटर या पी.पी.ओ. बुक की फोटो कॉपी लगाये।
6. रिहायशी पते के प्रमाण की फोटो कॉपी लगाये जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
7. पुराने पेंशन पहचान पत्र की फोटो कॉपी लगाये।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**Issue of Identity Card to the Pensioners**

Paste Photo  
without  
Attestation

This photo should  
be attested by  
A.O. (Pension)  
  
(Sign & Stamp)

1. **Name** : .....
2. **Father's/Husband's Name** : .....
3. **Post held on retirement & Category (i.e. A/B/C)** : .....
4. **PPO No. and Date** : .....
5. **Date of Birth** : .....
6. **Date of Retirement** : .....
7. **Residential Address  
(As per proof attached)** : .....  
.....  
.....PIN .....
8. **Telephone/Mobile No.** : .....
9. **Blood Group** : .....
10. **Previous Pensioner I Card Number, if any issued  
from Security Cell (enclose copy of previous  
Pensioner Identity Card also)** : .....
11. **If Pensioner I-Card lost mention FIR No. & Date  
(Enclose photocopy of FIR)** : .....

Name.....

Pensioner's Signature

Certified that Shri/Smt./Km..... S/o,W/o,D/o.....  
..... retired/retiring on..... from the DDA. He/She has deposited Rs. 10/55  
on account of fee/penalty for issue of fresh/duplicate identity card. The Particulars given by him/her are correct. Therefore,  
Identity Card may be issued to him/her.

Name.....

Signature  
Sr. A.O. (Pension)Office Stamp

**Chief Security Officer**

**NOTE:**

1. Two Latest coloured photographs (with white background) of passport size should be submitted along with the form/ application to the Sr. A.O. (Pension), who will attest one Photograph and form.
2. Please fill the form in English & Hindi (Both Sides). Use Capital Letters for English Side.
3. Please provide specimen signature without date in Blank space below column no.11.
4. Receipt of Rs. 10/55 in original is to be attached.
5. Attach photocopy of PPO Book or pension payment order.
6. Attach Proof of residential address e.g. Aadhaar Card, Voter Card, Driving License etc.
7. Attach Photocopy of old pensioner's ID Card, if any.